International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 07, July 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रशासनिक व्यवस्था में जिलाधिकारी की भूमिका

वंशगोपाल'
असि० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,
गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी, चित्रकूट

सारांश

प्रशासनिक सेवा में किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश काल के उल्लेखनीय पदों में से एक जिलाधिकारी या जिला में स्टेट का पत्थर यह जिले की शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है भारत में सामान्य शासन के तहत विभिन्न कानून नियमों तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए कानून व्यवस्था और विकास जिला प्रशासन का मुख्य विषय है जिस कारण जिला प्रशासन बहुआयामी प्रशासनिक गतिविधियों का चुनौती पूर्ण केंद्र बन जाता है आज इसके दायित्व में नियामक और विकास दोनों कार्य शामिल हैं इसमें लोकोन्मुख सुशासन की प्रकृति और कार्यक्षेत्र भी शामिल है आज जिलाधिकारी कल्याण से संबंधित कार्यों में भागीदारी के साथ-साथ जिले के सभी विभागों को दिशा एवं गति देने में पंचायतीराज व्यवस्था को संचालित करने भू राजस्व एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रस्तुत पत्र में प्रासंगिक साहित्य के आधार पर भारत में जिलाधिकारी के बदलते स्वरूप उसकी भूमिका एवं प्रासंगिकता को विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है मुख्य शब्द जिलाधिकारी जिला कलेक्टर प्रशासनिक सेवा जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय शासन नियामक प्रशासन विकास प्रशासन सिविल सेवा जिलाधिकारी का परिचय भारत में प्रशासन की मूल क्षेत्रीय इकाई जिला है और जिलाधिकारी इस इकाई के भीतर सार्वजनिक मामलों का प्रमुख प्रबंधक होता है जिलाधिकारी भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है राजस्व प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य जिलाधिकारी स्थानीय प्रशासन में प्रशासनिक प्रमुख की स्थिति में रहता है जिलाधिकारी प्रशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में यह प्रशासनिक ढांचे की नई के रूप में नागरिकों और शासन के मध्य संपर्क का मुख्य बिंदु रहा है इसलिए जिला प्रशासन की सफलता राज्य शासन की सफलता का निर्माण करती है भारत में प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिले का लंबा इतिहास है जो मौर्य काल से शुरू होता है जब सान्निधता और समाहर्ता प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे मुगल काल के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था इसके प्रमुख को करोड़ी फौजदारी कहते थे वर्तमान जिलाधिकारी और जिलाधीश की पद का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में हुआ था जब भारत में जिला कलेक्टर और उसके कार्यालय की शुरुआत सन 1772 की न्यायिक योजना के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने एक आधिकारिक आदेश किस की थी बाद

में ब्रिटिश भारत के समय जिला कलेक्टर भारतीय सिविल सेवा के मिलने के बाद भी जिलाधिकारी जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई बनी हुई है अध्ययन का उद्देश्य भारत में जिलाधिकारी जिले की शारीरिक सेवा में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में रहता है इसलिए प्रस्तुत पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान प्रदेश में जिलाधिकारी की स्थिति क्या है और जिलाधिकारी लोक कल्याण को स्थापित करने तथा विकास प्रशासन को प्रोत्साहित करने में किस स्तर तक सफल रहा है ।

शब्दकुंजी- ज़िलाधिकारी, लोकतंत्र, प्रशासन, आर्थिक-सामाजिक न्याय, पंचायतीराज।

प्रस्तावना

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था विरासत एवं निरंतरता का परिणाम है जो सरकार रूपी गतिशील व्यवस्था की चेतना अभिक्यक्ति तथा क्रियान्वयन है, इसमें नियमों विधियों, संस्थाओं तथा प्रशासनिक संगठन के साथ-साथ उन व्यक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित कर साकार रूप देते हैं। आज नीन्न संकल्पनाओं एवं वैश्वीकरण ने परम्परागत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन कर उसे लोकतान्त्रिक, पारदर्शी तथा जवाबदेह बना दिया है जिससे जिससे लोकसेवकों की संवेदनशीलता में वृद्धि तथा उनकी शक्तियों (Powers**) का रूप बदलकर व्यवस्थापक की भूमिका में आने से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को गति मिली है। परिणामतजिला प्रशासन में जिलाधिकारी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जो ब्रिटिशकाल में राजस्व संग्रह एवं व्यवस्था हेतु शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। इस पद का महत्त्व बताते हुए रैम्जे मैक्डोनाल्ड ने कहा था कि "कलेक्टर ऐसे कच्छप की तरह है जिस पर भारत सरकार टिकी है।" किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् आज यह पद साम्राज्यवादी एवं पुलिस स्टेट के विपरीत सुरक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व निभाने के कारण विकास का पर्याय बन चुका है। यह राज्य सरकार की जिला प्रशासनिक इकाई, उसका प्रतिनिधि एवं प्रतिबिम्ब और सरकार एवं जनता को आपस में जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह सरकार तथा जनता के विश्वास की वह संस्था है, जिसके माध्यम से शासन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी प्रकार की नीतियों का क्रियान्वयन होता है। इसके संगठन को जिला प्रशासन कहते हैं। मौर्य काल से ब्रिटिश काल तथा स्वतन्त्र भारत में यह शासन का बहुत बड़ संगठनात्मक ढांचा एवं प्रशासनिक जीवन का केन्द्र है। जो राज्य सरकार की जिला इकाई के रूप में सरकार की समग्रता का प्रतिनिधित्व एवं स्थानीय स्वराज्य का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है।**

राज्य एवं केन्द्र सरकार के बहुत से विभागों की जिले में स्थित इकाईयों सेवाएं मिलकर जिला प्रशासन की संरचना करती हैं। जो जिले में शासन के समस्त विभागों के क्रियाकलापों एवं लोक व्यवस्था सम्बन्धी मामलों का गतिशील प्रबन्ध करती हैं। जिला प्रशासन में शासन की समस्त जिला स्तरीय इकाइयाँ, अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवाएँ लोक

कार्यों के प्रबन्ध में संलग्न समस्त संस्थाएँ, पंचायत सदृश निगमात्मक संस्थाएँ तथा प्रशासन से संबंधित सभी परामर्शदात्री संस्थाएँ आदि सम्मिलित हैं।

सामान्यतयः जिला प्रशासन के कार्यों को नियामक विकास स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन सम्बन्धी आपात तथा अवशिष्ट कार्यों में बांटा जा सकता है। नियामक कार्यों विधि के अन्तर्गत एवं व्यवस्था बनाये रखना, अपरा नियन्त्रण, न्याय प्रशासन तथा भूमि-प्रशासन, भू-राजस्व निर्धारण, संग्रह, अन्य देय, विक्रय कर, वन कर, चुंगी कर (Exice) आदि का संग्रह करना खाद्यान्न और नागरिक आपूर्ति नियमन और वितरण आदि महत्वपूर्ण हैं। विकास कार्यों में, कृषि उत्पादन, सहकारिता, पशुधन एवं मत्स्य, लोकहितकारी कार्य-जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण आदि आते हैं। इसके साथ-साथ स्थानीय संस्थाओं शहरी एवं ग्रामीण के प्रशासन, लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों के निर्वाचन, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन आदि कार्य भी जिला प्रशासन के दायित्व हैं। अवशिष्ट श्रेणी में कार्यपालिका सम्बन्धी वह कार्य आते हैं जिनकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं और न ही जिले में इन्हें पूरा करने हेतु शासन का प्रथक प्रतिनिधि होता जिलाधिकारी ही शासन के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में इन कार्यों को करता है यथा शस्त्र लाईसेंस, नवीनीकरण, निरस्तीकरण, विशेष अधिनियम, लघुबचत, प्रचार, जनसम्पर्क, शिष्टाचार, कर्तव्य आदि।

प्रशासन के प्रारम्भिक काल में शासन के समस्त कार्यों का प्रत्यक्ष प्रभारी जिलाधिकारी/उप आयुक्त होता था। किन्तु स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, तकनीकी विभागों तथा जिला स्तर पर कार्यात्मक विभागों के क्षेत्रीय इकाइयों के स्थापना के कारण आज जिला एक उम्र-राजधानी बन गया है। यहाँ अनेक तकनीकी विभागों के साथ-साथ कृषि, पिछड़वर्ग, सहकारित, शिक्षा, रोजगार, आबकारी, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, उद्योग, जेल, न्याय, श्रम, चिकित्सा, पंचायतीराज योजना, पुलिस, सूचना एवं जनसम्पर्क, लोकनिर्माण, पंजीयन, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, विक्रय कर, सांख्यिकीय, कोषागार एवं लेखा, पशु चिकित्सा आदि विभाग स्थित होते हैं जिनके जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभागों कार्यों के लिए उत्तरदायी होने के साथ-साथ सभी अधिकारी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से जिलाधिकारी के प्रति जवाबदेह हैं तथा जिलाधिकारी इन विभागों मध्य समन्वय / प्रबन्धन की भूमिका भी निभाता है। वास्तव में जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था अद्वितीय है। ब्रिटिश काल में यह ऐसी मौलिक इकाई थी जिसके ढांचे पर दीवानी, फौजदारी और राजनैतिक क्षेत्राधिकार तथा शासकीय इकाइयों द्वारा लोक व्यवस्था तथा अन्य सेवाएँ प्रदान की जाती थीं। 01 अप्रैल 1937 से प्रान्तीय स्वायत्तता प्रारम्भ होने पर जिलाधिकारी के कार्यक्षेत्र में जन व्यवस्था, निष्पक्ष न्याय, प्रशासन तत्परता पूर्वक राजस्व संग्रह और भू-लेख की उपयुक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न है-

1. भारत में जिलाधिकारी के विकास क्रम को समझना ।
2. वर्तमान प्रदेश में जिलाधिकारी की स्थिति का अवलोकन करना।
3. विकास प्रशासन के बदलते स्वरूप में जिला अधिकारी की स्थिति पर चर्चा करना ।
4. जिला अधिकारी के पद ही दायित्व का अध्ययन करना।
5. जिलाधिकारी के महत्व भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करना।

स्वतन्त्रता के उपरान्त जिलाधिकारी का पद और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शासन की समस्त नीतियों का क्रियान्वयन इसके माध्यम से होने लगा है। आज जिलाधिकारी जिला प्रशासन की रीढ़ है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती तथा राज्य प्रशासनिक सेवाओं से पदोन्नत दोनों उक्त समूहों से लिए जाते हैं। जिलाधिकारी सम्भाग आयुक्त के माध्यम से शासन के प्रति उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 12 (1) के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता का तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

वह जिले का सर्वोच्च राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तथा राजस्व न्यायालय भी है। जिले में जिलाधिकारी की पदसोपानता निम्नलिखित है-

जिलाधिकारी - (जिला स्तर पर)

अपर जिलाधिकारी (जिला स्तर पर)

उपजिलाधिकारी - (उपजिला / तहसील स्तर पर)

तहसीलदार (तहसील स्तर पर)

नायब तहसीलदार (तहसील का कुछ भाग)

राजस्व निरीक्षक (लेखपाल क्षेत्र के कुछ भाग)

लेखपाल (ग्रामों का समूह)

सामान्यतयः जिलाधिकारी की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में देखा गया है-

1. राजस्व अधकारी के रूप में वह राजस्व, नहरी बकाया एवं बकायों का संग्रहण, तकावी ऋण का वितरण और वसूली, फसलों की क्षति का अनुमान लगाना तथा राहत के लिए सिफारिशें करना, विपत्ति तकावी का वितरण, अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुँचाना, भू-अधिग्रहण कार्य, वर्षा, फसल आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार की कृषि सांख्यिकी का संग्रहण, कोषालय और उपकोषालय का अधीक्षण, जागीर उन्मूलन, मुवावजा भुगतान, मुद्रांक अधिनियम को प्रवर्तित करना, बाढ़, अकाल, आगजनी, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत सम्बन्धी कार्य करता है।

2. जिला प्रशासक के रूप में वह जिले के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की पद स्थापना, स्थानान्तरण एवं अवकाश, जिलाधिकारी कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील आदि कार्यालयों में दफ्तरी अमले की नियक्ति दण्डत करना, कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यालय प्रक्रिया एवं प्रशासनिक कार्य हेतु निर्देशित करता समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जनता एवं अधिकारियों से भेंट करना, जिले में सरकारी वकील की नियुक्ति तथा वकीलों का पैनल आदितैयार करना है।

3. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में फौजदारी प्रशासन का संचालन, जेल और पुलिस का नियन्त्रण रखना सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था भंग होने की आशंका होने पर आदेश प्रचारित करना, श्रम समस्याओं तथा हड़ताल आदि से सम्बन्धित कार्य, पेड़ों को काटने के लिए परमिट प्रदान करना, नजूल भूमि का प्रशासन, प्रेस अधिनियम को प्रवर्तित करना, पारपत्र एवं वीसा प्रदान करने की सिफारिश करना, अधिवास, अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति और जनजाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र देना आदि। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह जिले की पुलिस का नियन्त्रण रखने तथा अपराध से सम्बन्धित प्रशासन केलिए जिला स्तर पर सर्वेसर्वा है।

4. जिला विकास अधिकारी के रूप में वह जिले में होने वाले समस्त विकास कार्यों का प्रभारी एवं समन्वयक है। स्वतन्त्रता के उपरान्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवं विकास प्रशासन के फलस्वरूप इसके कर्तव्यों में आमूल परिवर्तन हुआ है, अब यह मानव और भौतिक संसाधनां के विकास, निर्धनता उन्मूलन, नागरिक समाज की संवृद्धि की पूर्व दशाओं की प्राप्ति तथा शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यपालन एवं स्तन्त्रत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में नियामक के स्थान पर विकासोन्मुख कर्तव्य निष्पादन की अग्रपंक्ति में खड़ा है।

उपरोक्त भूमिकाओं के अतिरिक्त जिलाधिकारी को कई अपरिभाषित रूपों में कार्य करना पड़ता है जो इस पद को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का प्रशासन, पंचायतीराजव्यवस्था का क्रियान्वयन तथा आर्थिक उदारीकरण का लाभ गांवों तक पहुंचाने तथा जिले के समग्र विकास में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक एवं सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के उद्देश्य की दिशा में अब जिलाधिकारी की भूमिको में गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगत हुआ है। आज वह स्टाफ अधिकारी की तरह समन्वय स्कीम और योजना का समग्रीकरण, कर्मचारी तन्त्र का निर्माण, सहयोग और भागीदारी, लोगों को शासन की नीति, योजनाओं के प्रति जागरूक और शिक्षित करना आदि कार्य में अधिक समय देता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की है कि जिलाधीश को दौरे के समय जन शिकायतों को जानने और स्थल पर ही उनके निराकरण का प्रयास करना चाहिए, इसी दिशा में तहसील दिवस आदि उल्लेखनीय है।

हालाकि जिलाधिकारी राजस्व, सामान्य प्रशासन, पंजीयन जैसे कुछ विभागों का ही प्रत्यक्षतः अध्यक्ष है अन्य विभागों के अपने स्वतन्त्र अध्यक्ष हैं। किन्तु पुलिस वियाग से जिलाधीश के विशेष सम्बन्ध हैं। तमिलनाडु तथा कमिश्नरी प्रणाली को छोड़क वह पदेन जिला दण्डाधिकारी होने के नाते जिले में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। अनेक तकनीकी विभाग जो सामान्यतः जिलाधिकारी से स्वतन्त्र हैं, वे भी परोक्ष रूपेण जिलाधिकारी के प्रति जवाबदेह हैं। जिलाधिकारी किसी भी कार्यालय में जाने के लिए स्वतन्त्र हैं तथा सुझाव, परामर्श एवं किसी भी कर्मचारी के कार्य आचरण के सम्बन्ध में टिप्पणी कर सकता है। क्योंकि वह जिले में राज्य प्रशासन का प्रतिनिधि है वह जिले में समकक्षों प्रथम या टीम का कप्तान है और सभी विभागों में शासन के कार्यों और उनके उचित समन्वय के लिए उत्तरदायी है। आज लोकतन्त्र का विस्तार गांवों तथा अविकसित क्षेत्रों की ओर होन से निर्णयन प्रक्रिया में अधिक से अधिक व्यक्ति भाग लेने लगे हैं, जिससे प्रशासक एवं राजनीतिज्ञों में समाजोन्मुखी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया बढ़ी है। परिणामतः पंचायती राज तथा विकास प्रशासन को चलाने का नया उत्तरदायत्विों से जिलाधिकारी की पर्यवेक्षण तथा समन्वय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज जिलाधिकारी नियामक कार्यों के साथ-साथ विकास अधिकारी के रूप में विकास कार्य का समन्वय, विकास कार्य में आने वाली बाधाओं का निराकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में सामयिक एवं तात्कालिक प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजकर जिले के विकास तथा समाज कल्याण विभागों के अध्यक्षों को निर्देशन, परामर्श एवं सहयाग प्रदान करता है। जिले के विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में उसे प्रशासनिक और अनुशासनात्मक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह जिला परिषद् का पदेन सचिव होता है तथा बैठकों में भाग लेता है। किन्तु विकास प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका विषयक यह कहा जाता है कि उसके नियमनकारी तथा विकास कार्यों को अलग करते हुए विकास कार्य की जिम्मेदारी विशेषज्ञ प्रशासक को सौंपी जाये। अशोक मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि विकास कार्यों हेतु जिला स्तर पर एक 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियन्त्रण में जिले के विकास सम्बन्धी समस्त प्रशासन रहेगा।

महाराष्ट्र में जिलाधिकारी को विकास कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखते हुए कलेक्टर और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के जिला स्तरीय कार्यों में स्पष्ट एवं विवके सम्मत अधिकारी के नियन्त्रण में रखा गया है। आन्ध्र प्रदेश में भी नियामकीय कार्यों हेतु कलेक्टर तथा विकास कार्यों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। इसके पीछे मूल धारणा यह है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियामकीय कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विकास कार्यों के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने से सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों की समस्या सुलझेगी और विकास एवं प्रशासन में विशेषज्ञता के परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी जिससे ग्राम्य विकास अधिक तीव्र गति से हो सकेगा।

यह सच है कि विकास कार्ययोजनाओं को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है किन्तु फिर भी इन सभी कार्यों में प्रभावशाली समन्वय एवं दिशा देने में जिलाधिकारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। विकास कार्यों के लिए जो प्रभावशाली समन्वय एवं निर्देशन अपेक्षित है उसकी पूर्ति केवल अधिकतर राज्यों में जिलाधिकारी बड़ी कुशलता पूर्वक कर हरे हैं अतः यदि जिलाधिकारी केपास विकास कार्य सम्बन्धी उत्तरदायित्व बनाये रखना है, तो उसकी कार्यदक्षता हेतु जिले का क्षेत्र छोटा करना, प्रोटोकल कार्य से मुक्ति तथा उसके द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली समितियों की संख्या कम की जा सकती है।

जिलाधिकारी की अग्रणी भूमिका रहती है। पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण तथा विभिन्न संस्थाओं के पथ प्रदर्शन में भीइस सम्बन्ध में वी०टी० कृष्णामाचारी ने कहा है कि "कलेक्टर की भूमिका में परिवर्तन हुआ है, किन्तु ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि उसको अब लोकतान्त्रिक संस्थाओं के विकास एवं पथ-प्रदर्शन करने का कार्य प्राप्त है।"

विकास एवं उत्तरदायित्व की इस भूमिका में कुछ नकारात्मक तथ्व भी सामने आये हैं। भ्रष्टाचार, धन का कुप्रबन्धन, अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण तथा जिलाधिकारी के कार्यों में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के हस्तक्षेप की शिकायत भी नई नहीं है। एक आम शिकायत यह है कि जिलाधिकारी की नियुक्ति प्रशासनिक संवर्ग में बहुत जल्दी एवं बहुत कम समय के लिए होती है। इसलिए वे प्रायः कार्यालय परिधि से कार्य करने के इच्छुक रहते हैं, सिर्फ शिकायत, प्रार्थना पत्र अर्जी प्राप्त कर मिलने वालों को थोड़ा समय देते हैं तथा दूरभाष द्वारा आदेशों का क्रियान्वयन करने का प्रयास एवं अतिविशिष्टों के स्वागत से अपने भविष्य एवं पदोन्नति का रास्ता तैयार करते हैं और आम जनता उपेक्षित रहती है। साम्प्रदायिक तनाव, बेराजगारी, आतंकवाद की समस्या तथा पुलिस कप्तान एवं जिलाधिकारी के मध्य मतांतर जैसे कई उदाहरण है जो सामान्य प्रशासन के आलोचना का केन्द्र बना देते हैं। संकीर्ण स्वार्थों का जिलाधिकारी द्वारा विराध न किये जाने के कारण भी जिले का विकास अवरुद्ध होता है।वास्तव में वर्तमान युग वैज्ञानिकों एवं वकनीकी विशेषज्ञों का है और अगर प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी उपयोगिता जनात के समक्ष सिद्ध करनी है तो सर्वप्रथम ग्रामीणों का विश्वास जीवना होगा, उनके साथ उनकी समस्याओं, शिक्षा, विकास आदि सैकड़ों विषयों पर विचार विमर्श के उपरान्त ठोस कार्य करने होंगे तथा सांसदों एवं विधायकों को इस प्रक्रिया में सहभागी बनाना होगा।73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के पशचात् यह विचारणीय है कि इन संस्थाओं के साथ समन्वय करके विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों का कुशल संचालन जिलाधिकारी के बगैर कैसे किया जाये। जिलाधिकारी की शक्तियों में और कटौती से पूर्व हमें प्रशासनिक क्षेत्र में विधि के शासन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अभी भी इस दिशा में कुछ राज्य

हमें असफल प्रतीत होते हैं और वे जिलाधिकारी के पद की सार्थकता एवं उसके हाथों और शक्तियों के केन्द्रीकरण की आवश्यकता सिद्ध कर रहे हैं।

वास्तव में इस अनोखी भारतीय संस्था की प्रशंसा एवं आलोचना दोनों होती हैं और यह आज भी शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्योंकि सरकार एवं जनता दोनों ही जिलाधिकारी पद में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखती हैं। इसलिए समस्त सरकारी महत्व के कार्यक्रम जिलाधिकारी के उत्तरदायित्व एवं नेतृत्व में सौंपे जाते हैं। अतः जिलाधिकारी के सकारात्मक कार्य एवं प्रयास प्रशासन की उपलब्धियों में तात्विक परिवर्तन ला सकती हैं।

वर्तमान में भारत के आर्थिक उदारीकरण का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना शेष है। यह कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से सही प्रकार से सम्भव हो सकता है। जिलाधिकारी के लिए व्यय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। ऐसी परियोजनाएं जो भू उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति,आधारभूत सुविधाएँ, विनियमीकरण, विधि व्यवस्था या पर्यावरण समस्याओं के कारण बाधित हैं, उन्हें जिलाधिकारी त्वरित रूप से कार्य करके जिले के विकास में कार्य कर सकता है। आज कल्याणकारी राज्य से आगे बढ़ते हुए समावेशी विकास सामाजिक न्याय का मूलमंत्र हो चुका है. जिसमें आधारभूत वस्तुओं की सभी तक पहुँच हो, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार वृद्धि प्रक्रिया से जोडऋने, कृषि, ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में निवेश तथा आय वृद्धि के प्रभवी उपायों अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों कमजोर वर्गों र्धिनों, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य शिक्षा आवास एवं खाद्य सुरक्षा पर अधिकाधिक व्यय एवं वित्तीय समावेश आदि पर सर्वाधिका ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में लिाधिकारी की सकारात्मक भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। वह जन विश्वास का ट्रस्टी है, अतः उसे अपने विवेक का प्रयोग जनहित में करते हुए संसाधन प्रबन्धन को ध्यान में रखकर अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि समाज के वंचित वर्ग भी विकास की इस मुख्य धारा से जुड़ सकें। अतः इस दिशा में जिलाधिकारी की भूमिका प्रासंगिक है।

संदर्भ सूची

1. भारतीय प्रशासनः अवस्थी एवं अवस्थी, लक्ष्मीनारायण पब्लिकेशन आगरा, 1998 पृष्ठ 423

2. उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1901 एवं नियमावली, लॉ कॉटेल इलाहाबाद 2000, पृष्ठ 25 - 28

3. उ०प्र० पुलिस रेग्युलेशन, हरि लॉ एजेन्सी प्रयागराज, 1996 पृष्ठ 276

4. उ०प्र० पुलिस रेग्युलेशन, हरि लॉ एजेन्सी प्रयागराज, 2009 पृष्ठ 23-25

5. लोक प्रशासन, अवस्थी महेश्वरी, लक्ष्मीनारायण पब्लिकेशन आगरा, 2006

6. चलें यथार्थ की ओर, कालिका प्रसाद, कबीर पंथी सेवा विद्यापीठ, लखनऊ 1994

7. एस०एस० खरेः डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, 1978 पृष्ठ 1-3

8. एस०आर० महेश्वरी, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, 1978 पृष्ठ 461-462

9. **डी०आर० सचदेव तथा बी०डी० दुआ**, **स्टडीज इन इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशिन**, **किताब महल**, **प्रयागराज** 1969 **पृष्ठ** 380
10. V.R. Gaikwad, "Bureaucracy at the District Level" (ed.) S.C. Dubey, Public service and Social Responsibilities, New Delhi, P 239-262
11. Anil Kumar Lakhina, "Reforms in the Collectorate of Ahmadnagar (Maharashtra) A report", The Indian Journal of Public Administration, Vol. XXX, No. 2, April-June 1984
12. L.Gullick & L.Urwick: Papers on the Science of Public Administration, New York, 1937, pp. 28-29.
13. J.D. Shukla: State Administration in India, New Delhi, IIPA 1976, p. 81
14. S.S. Khera: State Administration in Indi, New Delhi, Asia Publishing House 1964, p 38.